सं .12018/17/2014/ईपीआई- VI

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(ण विभाग एवं परिवार कल्यास्थ्यस्वा)

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, तारीख .02..नवम्बर..,2016

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नै, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में आशुलिपिक ग्रेड-। पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित भर्ती के निम्नलिखित प्ररूप नियम सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किए जाते हैं तथा एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि प्ररूप भर्ती नियमों पर विचार उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने की तिथि से 30 दिनों के बाद ही किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्ररूप भर्ती नियम के संदर्भ में प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे श्री बी.एल.मीणा, अवर सचिव, कमरा सं .508डी-, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाए तथा साफ्ट कॉपी barjmohan.meena@nic.in पर भेजी जाए।

(बी.एल.मीणा)
अवर सचिव
टेली-23061436

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल (स्तर)	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आशुलिपिक (-ग्रेड-I)	1*(2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अनुसचिवीय, अराजपत्रित, समूह 'ख'	स्तर -6 (35400-112400/- रू.)	चयनपद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<u>प्रोन्नति:-</u>स्तर -4 ,(25500-81100/- रू.) के आशुलिपिक ग्रेड II, जो दस वर्ष नियमित सेवा की हो । टिप्पण1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण:2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी,2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है	I.<u>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :</u> (1) निदेशक, बेसिलस केलमेट-ग्यूरिन टीका प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई - अध्यक्ष (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बेसिलस केलमेट-ग्यूरिन टीका प्रयोगशाला, गिंडी,चेन्नई - सदस्य (3) सहायक निदेशक (वरिष्ठ), किंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, गिंडी चेन्नई- सदस्य II. <u>विभागीय नियमितीकरण समिति की संरचना:</u> (1) मुख्य चिकित्साधिकारी, बेसिलस केलमेट-ग्यूरिन टीका प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई - अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक (वरिष्ठ), किंग इंस्टीट्यूट-गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, गिंडी चेन्नै (3) केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी- सदस्य	आवश्यक नहीं

	आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **<u>प्रतिनियुक्ति:</u>** केंद्रीय सरकार के ऐसे आशुलिपिक : (i) जो मुख्य संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) स्तर-4 पर दस वर्ष नियमित सेवा के साथ (25500-81100/- रू.)अथवा समतुल्य । **टिप्पण1**- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2**- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो		

	गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा.सं.ए. 12018/17/2014-ईपीआई]

हस्ता. /-

(बी.एल.मीणा)
अवर सचिव, भारत सरकार